IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय कल्याणकारी योजनाओं का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव (अजमेर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. विजय कुमार पालीवाल
सहायक आचार्य, भूगोल विभाग
राजकीय कन्या महाविद्यालय, सरवाड़ (अजमेर)
डॉ. दीप सिंह
सहायक आचार्य, भूगोल विभाग
दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर

स्वतंत्रोत्तर युग में भारतीय लोकतांत्रिक ढाँचे का सृजन नये सिरे से हो रखा था। इस दौरान अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु महिलाओं की दशा में सुधार लाना अनिवार्य था। अतएव विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के उत्थान हेतु लक्ष्य रखे गए।

संविधान द्वारा भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया तथा इस बात का प्रावधान किया गया कि राज्य देशवासियों के कल्याण को बढ़ावा देगा और धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सभी प्रकार के विभेद को समाप्त करेगा। संविधान के अन्तर्गत पुरूषों एवं महिलाओं के साथ समानतापूर्वक व्यवहार करने, महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार एवं सुविधायें दिलाने, महिलाओं के साथ समाज में होने वाले दुर्व्यवहार से उनकी सुरक्षा महिलाओं के सम्मान को बनाये रखने तथा महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से है।

महिला सशक्तिकरण

राजस्थान में प्राचीन समय से ही महिलाओं की स्थिति दूसरे दर्जे की रही है। समाज में उसे समान अधिकार प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी आज महिलाएं स्वयं को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा व अधिकार विहीन पाती हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, गरीबी, शिक्षा का अभाव में वे संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों से आज भी वंचित हैं। महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं को संविधान में प्रदत्त सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों को प्रदान करवाना है जिसके वे आधी आबादी होने के कारण अधिकारी हैं। 73वें संविधान संशोधन

के माध्यम से इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हुआ है। महिलाओं को पंचायत स्तर पर आरक्षण मिलने से उन्हें जमीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति हुई हे। वे समाज की जकड़ी हुई परम्पराओं, रूढ़ियों और घूंघट से बाहर निकाल कर महिलाओं की आवाज उठाने लगी हैं। पंचायती राज में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार आत्मनिर्भरता, समाज में उनकी समान स्थिति और राजनैतिक चेतना में वृद्धि से ही वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगी।

अजमेर जिले में महिलाओं की भूमिका

राजस्थान के विकास में पंचायती राज की उल्लेखनीय भूमिका रही है। अजमेर जिले की महिला जनप्रतिनिधि भी इस महायज्ञ में पीछे नहीं रही हैं। जिले की महिलाओं ने अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तावित शोध का अध्ययन क्षेत्र अजमेर जिला होगा। अजमेर जिले के अन्तर्गत (पंचायत समिति–किशनगढ़, श्रीनगर, पीसांगन, जवाजा, मसूदा, भिनाय, केकड़ी, अंराई) सम्मिलित है। प्रस्तावित शोध हेतु अजमेर जिले की उन पंचायत समितियों का अध्ययन किया जायेगा जिनमें महिलाएं पदों पर हैं। इस प्रकार प्रस्तावित शोध पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण की भूमिका (अजमेर जिले के विशेष संदर्भ में) करने का पयास किया जायेगा।

राजस्थान सरकार ने 28 मार्च, 1959 को जारी अपने आदेश के माध्यम से पंचायत विभाग का विकास विभाग में विलय कर दिया और पंचायत विभाग के अधीन कार्यरत सचिवालय स्तर पर अधिकारी एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवायें विकास विभाग को स्थानान्तरित कर दो गई। राजय मंत्रिमंडल (राजस्थान) ने एक आदेश से पंचायत एवं विकास विभाग का नाम जून 1992 में बदल कर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग कर दिया।

भारत के संविधान में पुरूष एवं महिलाओं के लिए समान संरक्षण व कानूनों का निर्धारण किया गया है। भारतीय समाज में महिलाओं के लिए संविधान में मूलभूत अधिकारों की गारन्टी दी हुई है और संविधान निर्माताओं ने उनके लिए जहाँ भी आवश्यकता हो विशेष विधायी सहायता भी प्रदान की है। महिलाओं के मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सक्रिय एवं सशक्त कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। यह आयोग पुलिस एवं जेल अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने में सक्षम है।

सत्ता में महिलाओं की समुचित भागीदारो के बिना महिला विकास और सशक्तिकरण की बेहतरी की तलाश की बात बेमानी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की अधिकाधिक उपस्थिति लोकतंत्र की मजबूती और सार्थकता के लिहाज से भी अनिवार्य है।

आज के समय में देश की महिलाओं के शैक्षणिक विकास की ओर यदि ध्यान दें तो स्थिति और भी अधिक चिन्ताजनक ज्ञात होती है। आँकड़ों की ओर गौर करें तो ज्ञात होता है कि देश में पुरूष साक्षरता दर 78.55 प्रतिशत व महिला साक्षरता मात्र 54.61 प्रतिशत है। वहीं प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर स्वतंत्रता के समय 3 प्रतिशत थी और यह आज 64 वर्ष के बाद भी 44.34 प्रतिशत (सन् 2011 की जनगणना के अनुसार) तक पहुँच गई है। इसका मुख्य कारण अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता महिलाओं का स्वयं शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होना है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी परिपूर्ण हो सकती है जब प्रत्येक स्तर पर स्थापित प्रजातांत्रिक संस्थाओं में जनता की सक्रिय व सचेतन भागीदारी का तथ्य जुड़ा हुआ हो। जन सहभागिता तभी प्रभावी असरकारक मानी जा सकती है जबकि समुदाय के समस्त वर्ग विशेषतः वे वर्ग जो अनेकानेक परम्परागत वर्जनाओं के कारण अब तक सामाजिक जीवन में सहभागिता से वंचित रहे हैं। ऐसे वर्ग निर्णय प्रक्रिया में अपनी प्रभावी भूमिका व सहभागिता करतेह ुए नेतृत्व के समान अवसर प्राप्त करें। इन वर्गों में विशेषतः महिला वर्ग का उभरना जन सहभागिता के वास्तविक होने का सटीक मानक है। महिला नेतृत्व के उभरने के लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। इन अवसरों का महिलाओं द्वारा किस सीमा तक उपयोग हो सका है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का स्वतंत्र नेतृत्व कितना हो सका ? इन प्रश्नों का समाधान ढूँढने के लिए सटीक अध्ययन की आवश्यकता है।

शिवचरण माथुर शोध संस्थान जयपुर के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिला का प्रतिनिधियों की सुदृढ़ता एवं चुनौतियों का मूल्यांकन 2010–11 में किया गया। फरवरी 2012 में जारी इसके सर्वेक्षण के नतीजे से महिलाओं की अधिक स्थिति सुदृढ़ होने की बात समझ आयी है। राजस्थान प्रदेश में आधे से अधिक ऐसी महिला सदस्य हैं जिनकी पहले से राजनीति में पहुंच रही थी।

1. प्रबंधन में महिला आरक्षण की वजह से 94 प्रतिशत महिला सरपंच बनी।
2. जयपुर की 50 प्रतिशत महिला सरपंचों से पूछे गए प्रश्नों के जवाब स्वयं ने दिए जबकि जोधपुर को एक भी महिला सरपंच ने प्रश्नों के जवाब स्वयं ने नहीं दिए। यहाँ घूंघट

प्रधान और पुरूष प्रधान परंपरा की वज से महिला आरक्षण का वास्तविक प्रतिबिंब अभी भी देखने को नहीं मिला है।

3. महिला आरक्षण की वजह से पंचायतों पर काफी प्रभाव पड़ा। इससे 40 प्रतिशत महिला ऐसी है जिन्हें 40 वर्ष की कम उम्र में ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिल सका है।

73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएँ रूचि लेने लगी है और वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "मं पंचायती राज के प्रति पूर्णत आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ मौलिक एवं क्रांतिकारी है।

उद्देश्य

1. राजस्थान में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. पंचायती राज व्यवस्था क महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गये प्रयासों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।
3. पंचायती राज में महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण के महत्व एवं समाज पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
4. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दशा में किये गये कार्यों का विशलेषणात्मक अध्ययन करना।
5. महिला सशक्तिकरण की दिशा में अजमेर जिला की भूमिका का संपूर्ण अध्ययन करना।

प्राक्कल्पना

1. स्वतंत्रता पश्चात् पंचायती राज के लागू होने से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है।
2. 73वें संविधान संशोधन से महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होने से महिलाओं की पंचायती स्तर पर भागीदारी में वृद्धि हुई है।
3. पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
4. पंचायत में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

5. महिलाओं के सशक्तिकरण को अधिक व्यापकता देने के लिए स्थानीय महिला जन प्रतिनिधियों की और अधिक जागरूक, सक्रिय और सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

राजकीय कल्याणकारी योजनाएँ

1. मुख्यमंत्री राजश्री योजना– राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य व शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ का पात्र होंगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता–पिता को कुल राशि का भुगतान विभिन्न चरणों में किया जायेगा।

2. बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ– भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ 22 जनवरी 2015 को पानीपत में भारत के 100 जिलों के लिए किया गया था। राजस्थान में प्रथम चरण में 10 जिलों का व द्वितीय चरण में 4 जिलों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले स्तर पर विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

3. जननी शिशु सुरक्षा योजना– जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसूताओं व एक वर्ष तक की उम्र के बीमार नवजात शिशु पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है।

4. किशोरी सशक्तिकरण योजना– इस योजना के अन्तर्गत 11–16 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के शारीरिक, बौद्धिक एवं व्यक्तिगत विकास हेतु पोषणीय व गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती हैं। इस योजना के तहत किशोरी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

5. कल्याण विस्तार परियोजनायें– ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों एवं शहरी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों को मौलिक कल्याण सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद् द्वारा इन परियोजनाओं को प्रारम्भ किया। प्रारम्भ से इनको ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया। प्रत्येक परियोजना के 5 केन्द्र रखे गए जिनके माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों के लिए निम्नलिखित बहुउद्देशीय सुविधायें कराने की व्यवस्था की गई।

- प्रसव के पूर्व तथा प्रसव के बाद की सेवाओं को उपलब्ध कराना।
- शिशु स्वास्थ्य संरक्षण, प्राथमिक चिकित्सा तथा प्रारम्भिक चिकित्सकीय सहायता देना।

- शिशु–गृह की सुविधायें तथा पूर्व–विद्यालयों शिक्षा उपलब्ध कराने वाली बालवाड़ी की स्थापना।
- पूरक पुष्टाहार की व्यवस्था करना।
- महिलाओं के लिए कला तथा शिल्प कक्षाओं तथा सामाजिक शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा सहित) का आयोजना करना।
- बच्चों तथा महिला के लिए मनोरचनात्मक कार्यकलापों को आयोजित करना।

6. महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम– ग्रामीण पहाड़ी तथा जनपदीय क्षेत्रों में आवश्यकता ग्रस्त महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम 1968 में तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण काय्रक्रम 1975 में प्रारम्भ किए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में शिक्षा का प्रसार कर तथा कार्यों में कुशलता प्रदान कर उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा विशेष रूप से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले तथा अनुत्तीर्ण उम्मीदवार की सहायता के लिए तैयार की गई ताकि वे अपनी विद्यालय संबंधी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

7. ग्रामीण अंचलों की महिलाओं एवं बच्चों की विकास योजना– ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बाल विकास कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक योजना है। इस योजना को सितम्बर 1982 में 50 जिलों में प्रारम्भ किया गया था। 1994–95 से यह योजना देश के सभी जिलों में लागू हो गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीये जीवन यापन कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है, ताकि उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सके।

8. महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार के सहायता कार्यक्रम– महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण के लिए मदद देने का कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, हाथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर और ग्राम उद्योग तथा रेशम कीट–पालन जैसे महिलाओं की प्रधानता वाले परम्परागत कार्यों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलारओं को रोजगेार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनके हुनर में और सुधार करना है। इस कार्यक्रम में साधनविहीन और सीमांत मजदूरों, निर्धन वर्गों तथा ऐसे परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। अब तक 4.48 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम का लाभ उठा चुकी हैं।

राज्य स्तर पर उत्पीड़न के ही शिकायत

क्र.सं.	विचार	संख्या
1	मुख्यमंत्री	5
2	राज्य महिला आयोग	26
3	राज्यपाल	2
4	उच्च न्यायालय	5

तालिका को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जब जाति विशेष की महिला प्रतिनिधियों से यह सवाल किया गया कि महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की शिकायत आप राज्य स्तर पर कहाँ करेंगे। इसके जवाब में अधिकांश महिला जन प्रतिनिधियों ने राज्य महिला आयोग में शिकायत करने की बात कही है। 40 में स 28 जन प्रतिनिधियों ने राज्य महिला आयोग से शिकायत करने की बात कही है। इसी तरह 5 जन प्रतिनिधियों ने महिला उत्पीड़न की शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। इसी प्रकार 5 जन प्रतिनिधियों ने उच्च न्यायालय में महिला उत्पीड़न की शिकायत यर्थातवाद दायर करने की बात कही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला उत्पीड़न की अधिकतर शिकायतें राज्य महिला आयोग से करने को ही उचित माना गया है क्योंकि इस आयोग का मुख्य काम भी यही है कि वह महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों व मुकदमों को ही सुनता है। आज राज्य महिला आयोग के पास महिला उत्पीड़न की शिकायतें बड़ी तादाद में महिला उत्पीड़न की शिकायतें पहुँच रही है और आयोग द्वारा उनका निपटारा भी किया जा रहा है। अधिकांशतः महिला आयोग में महिला पर होने वाले अत्याचार, दहेज प्रथा आदि शिकायतें अधिकता के साथ आ रही हैं।

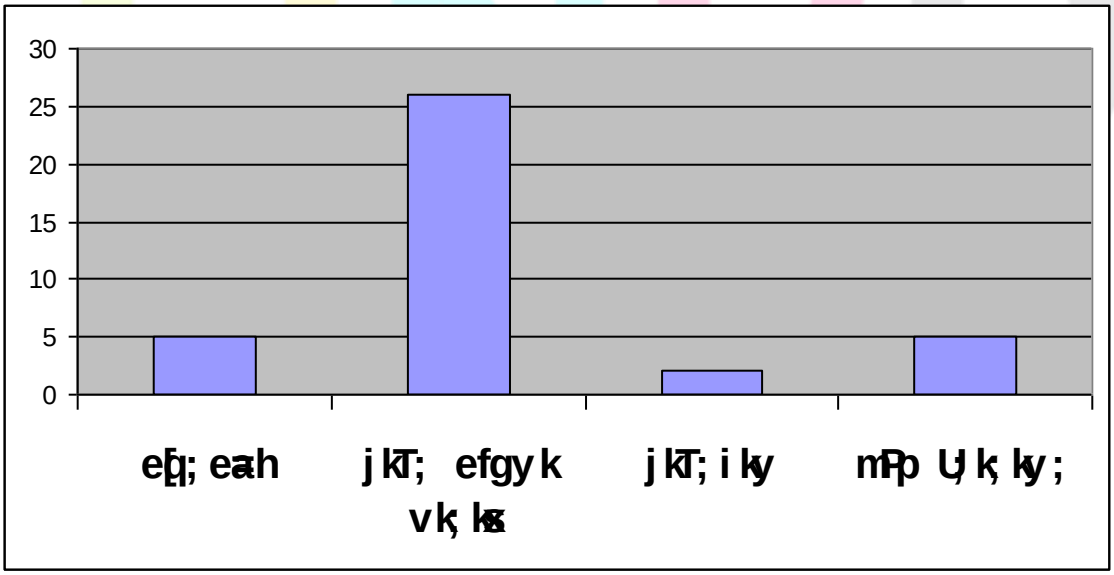

समाज में महिला अधिकारों एवं पुरूष के साथ उसकी समानता को लेकर कई चर्चाएं की जाती हैं। मनुष्य समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के विश्व व्यापी चेतना के स्फुटिकरण ने भारतीय समाज पर भी यह दबाव बनाया है कि वह भी इस दिशा में सक्रिय हो। इस सोच के पीछे जो मूल दृष्टि है वह यह है कि महिलाएँ आदिम कालीन सामाजिक प्रतिबंधों एवं व्यवस्थाओं से मुक्त होकर अपनी क्षमताओं और अपनी रचनात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए कर सके तथा जिसमें वे स्वयं किसी प्रकार के उत्पीड़न, अन्याय और शाषण से पीड़ित न हो एवं दूसरी महिलाओं को भी शोषण के लिए जगा सके। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उन्हें सत्ता में भागीदारी दी जाए। इसके लिए न केवल सरकारी नीति वरन समूचे समाज का सामाजिक विकास इसी सोच के समान्तर चले तब कहीं जाकर महिलाओं को पुरूषो के समान महत्व प्राप्त हो सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1. भट्ट शान्ता, वूमन पॉलियामेन्टरियन ऑफ इंडिया, शिवा पब्लिक डिस्ट्रब्यूटरस, उदयपुर, 1995
2. मनिकम्बा, पी. वूमन इन पंचायत राज स्ट्रकचर, ग्यान, न्यू देहली, 1999
3. महिपाल, 73वें संविधान को अधिक कारगार बनाने की जरूरत, कुरूक्षेत्र, अप्रेल 1999
4. नाटाणी, प्रकाश नारायण, महिला जागृति और कानून, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2007
5. नारायण इकबाल एवं पी.सी. माथुर, पॉलिटिकल बिहेव्यिर इन रूरल इंडिया, द केस आफ ए पंचायत इलेक्शन इन राजस्थान, जनरल ऑफ कामनवेल्थ पालिटिकल स्टडीज, 1997
6. सिन्हा, निरोज, विमन्स इन पोलिटिक्स एमपॉवरमेन्ट ऑफ विमेन्स थ्रो पोलिटिकल पारटीसीपेशन, नई दिल्ली, 2008
7. शर्मा, प्रज्ञा, भारतीय समाज में नारी, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007